

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक:- 436/11-सी-FP/UP/Road/118819/2021, लखनऊ, दिनांक: अगस्त 13, 2024
सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- जनपद-सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग के अंतर्गत पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र द्वारा आर०एस० रोड (सिधहवा) से जोगेन्द्रा वाया खजुरा मार्ग के चैनेज सं०-०.०० से २०.१५० तक में निर्मित मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण से प्रभावित १४.५६०३ हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक ७५८ वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-८बी/यू०पी०/०६/३३/२०२२/एफ०सी०/६६९, दिनांक ०४.११.२०२२ एवं मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर का पत्रांक-६०२/मी०क्षे०/३३, दिनांक ०६.०८.२०२२

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के उपरोक्त पत्रांक-६०२/मी०क्षे०/३३, दिनांक ०६.०८.२०२२ द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है तथा प्रकरण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन०पी०वी० की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में ऑनलाइन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन "परिवेश" पोर्टल पर अपलोड कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(प्रमोद कुमार गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 436 / 11-सी-FP/UP/Road/118819/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।
3. अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र।

(प्रमोद कुमार गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर
पत्रांक-602/मी0क्षे0/33/मीरजापुर, दिनांक अगस्त, 06- 2024

सेवा में,

✓ प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
 पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
 उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:- जनपद-सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग सोनभद्र द्वारा आर0एस0रोड(सिधहवा) से जोगेन्द्रा वाया खजुरा मार्ग के चैनेज संख्या- 0.000 से 20.150 तक में निर्मित मार्ग के चौड़ीकरण एवं सृष्टीकरण से प्रभावित 14.5603 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 758 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

(ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ROAD/118819/2021)

संदर्भ:- 1-भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक- 8बी/यू0पी0/06/33/2022/एफ0सी0/669 दिनांक-04.11.2022

2-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक- 1608/11-सी- **FP/UP/ROAD/118819/2021** लखनऊ दिनांक-07.11.2022

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करे। प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक- 04.11.2022 द्वारा 28 (अट्ठाइस) शर्तों के अधीन प्रदान की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या-318/रेनुकूट/15-295 दिनांक 27.07.2024 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा बिन्दुवार अनुपालन आख्या निर्धारित टेबुलर फार्म में चार प्रतियों में आवश्यक अभिलेखों मय संस्तुति सहित निम्न प्रकार इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है :-

क्र0 सं0	भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक-8बी/यू0पी0/06/33/2022/एफ0सी0/669 दिनांक- 04.11.2022 में अंकित शर्तों का विवरण	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है कि प्रश्नगत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। वचनबद्धता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।
2	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project in handed over to the user agency	इस बिन्दु के क्रम में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना में प्रभावित 14.5603 हे0 वन भूमि के सापेक्ष 14.5603 हे0 गैर वन भूमि वन विभाग के पक्ष में राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद कराते हुए खतौनी की प्रति उपलब्ध करायी गयी है जिसकी प्रति संलग्न है।

3	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 14.5603 ha. Equivalent non forest land in Range Myourpur. Village Katauli (6.56 ha) . Range Dudhi Village Baheradol (8.0003) District-Sonbhadra at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	इस बिन्दु के क्रम में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभावित वन भूमि 14.5603 हे० के सापेक्ष कुल 14.5603 हे० गैर वन भूमि रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत निम्न विवरण के अनुसार राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद कराते हुए खतौनी की प्रति उपलब्ध कराया गया है :- <table border="1" data-bbox="890 369 1436 743"> <thead> <tr> <th>रेंज का नाम</th><th>ग्राम का नाम</th><th>गैर वन भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>म्योरपुर</td><td>कटौधी</td><td>6.5600</td></tr> <tr> <td>दुद्धी</td><td>बहेराडोल</td><td>8.0003</td></tr> <tr> <td colspan="2">कुल योग-</td><td>14.5603</td></tr> </tbody> </table> उक्त गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण किये जाने हेतु वांछित धनराशि उ०प्र० कैम्पा में जमा है । प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति जारी किये जाने के उपरान्त वांछित धनराशि उ०प्र० कैम्पा से प्राप्त कराते हुए वन विभाग द्वारा स्थानीय मिश्रित प्रजाति के पौधों का वृक्षारोपण किया जायेगा ।	रेंज का नाम	ग्राम का नाम	गैर वन भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	म्योरपुर	कटौधी	6.5600	दुद्धी	बहेराडोल	8.0003	कुल योग-		14.5603
रेंज का नाम	ग्राम का नाम	गैर वन भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)												
म्योरपुर	कटौधी	6.5600												
दुद्धी	बहेराडोल	8.0003												
कुल योग-		14.5603												
4	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval . A copy of the original notification declaring the non forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval.	इस बिन्दु के क्रम में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभावित वन भूमि 14.5603 हे० के सापेक्ष कुल 14.5603 हे० गैर वन भूमि रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत निम्नानुसार उपलब्ध कराया गया है:- <table border="1" data-bbox="890 1317 1436 1691"> <thead> <tr> <th>रेंज का नाम</th><th>ग्राम का नाम</th><th>गैर वन भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>म्योरपुर</td><td>कटौधी</td><td>6.5600</td></tr> <tr> <td>दुद्धी</td><td>बहेराडोल</td><td>8.0003</td></tr> <tr> <td colspan="2">कुल योग-</td><td>14.5603</td></tr> </tbody> </table> उक्त गैर वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-29 के तहत विज्ञप्ति जारी किये जाने हेतु विज्ञप्ति आलेख / प्रस्ताव उ०प्र० शासन को प्रेषित किये जाने हेतु पत्रांक-4337/मी०क्षे०/33 दिनांक 09.05.2024 द्वारा उच्च स्तर पर प्रेषित किया गया है ।	रेंज का नाम	ग्राम का नाम	गैर वन भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	म्योरपुर	कटौधी	6.5600	दुद्धी	बहेराडोल	8.0003	कुल योग-		14.5603
रेंज का नाम	ग्राम का नाम	गैर वन भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)												
म्योरपुर	कटौधी	6.5600												
दुद्धी	बहेराडोल	8.0003												
कुल योग-		14.5603												

5	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey. Demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the projet authority. The CA plantation will be maintained for 10 years . The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for work scheduled for subsequent years.	इस बिन्दु के क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित 14.5603 हे० वन भूमि के सापेक्ष रेनुकूट वन प्रभाग के म्योरपुर रेंज अन्तर्गत ग्राम-कटौधी मे 6.5600 हे० व दुद्धी रेंज अन्तर्गत ग्राम-बहेराडोल मे 8.0003 हे० कुल 14.5603 हे० गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण किया जाना प्रस्तावित किया गया है। उक्त प्रस्तावित क्षेत्र पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न व्यय अनुमान पत्र में अंकित निर्धारित धनराशि रु० 19,68,116.00 (मु० उन्नीस लाख अड़सठ हजार एक सौ सोलह मात्र) परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa, के खाता संख्या-1509061118819202 तथा IFSC-UBIN 0996335 मे SBI UTR No. SBIN 123088331548 द्वारा दिनांक-29.03.2023 को रु० 21728045.00 जमा कराते हुए उसकी सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी गयी है जिसमे उक्त धनराशि रु० 1968116.00 सम्मिलित है । जमा रसीद की छाया प्रति संलग्न है ।
6	The State Government shall charge the Net Present Value(NPV) for the 14.5603 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in I.A. No. 566 in WP(C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-Fc (pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06.01.2022 and 19.01.2022 shall be deposited by User Agency in this regard.	इस बिन्दु के क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न भाग-।। (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा गया है) में हरियाली धनत्व 0.8 अंकित किया गया है जो अत्यन्त सधन वन की श्रेणी में आता है । भारत सरकार के पत्र दिनांक- 06.01.2022 में इको क्लास -।।। Tropical Dry Deciduous Forests (Very Dense Forest) के लिए एन०पी०वी० की निर्धारित धनराशि रु० 1357110 प्रति हे० निर्धारित किया गया है । अतः परियोजना में प्रभावित 14.5603 हे० आरक्षित वन भूमि का वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित धनराशि 14.5603 हे० X 1357110 प्रति हे० = रु० 19759928.73 या 19759929.00 (मु० एक करोड़ सन्तानवे लाख उन्सठ हजार नौ सौ उन्तीस मात्र) परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa, के खाता संख्या- 1509061118819202 तथा IFSC-UBIN0996335 मे SBI UTR No. SBIN 123088331548 द्वारा दिनांक 29.03.2023 को रु० 21728045.00 जमा कराते हुए उसकी सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी गयी है जिसमे उक्त धनराशि रु० 19759929.00 सम्मिलित है । जमा रसीद की छाया प्रति संलग्न है ।

k

-4-

7	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to the effect.	इस बिन्दु के क्रम में अवगत कराना है कि एन0पी0वी0 की धनराशि में यदि भविष्य में कोई बढ़ोतरी होती है तो उसे जमा किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है ।
8	User agency shall restrict the felling of trees to 758 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the Cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department .	इस बिन्दु के क्रम में अवगत कराना है कि परियोजना में प्रभावित 758 वृक्षों का <u>गणना/छपान</u> कराते हुए लाट संख्या- 152 व 153 वर्ष 2023-24 उ0प्र0 वन निगम रेनुकूट को पातन हेतु प्रेषित की जा चुकी है । पातन हेतु प्रस्तावित वृक्षों के पातन/ढुलान आदि पर होने वाले व्यय की निर्धारित धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उ0प्र0 वन निगम के निर्धारित खाता संख्या 29690200015824 में दिनांक-15.03.2024 को जमा की जा चुकी है। जमा रसीद की छाया प्रति संलग्न है ।
9	The Complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	इस बिन्दु के क्रम में जिलाधिकारी सोनभद्र के स्तर से जारी वांछित प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न है ।
10	N0 violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.	इस बिन्दु के क्रम में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधानों का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य नहीं किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है ।
11	Plantation shall be raised on both sides of the road and median(if available) by the State Forest Department at the cost of User Agency as per submitted scheme according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju V/s State of Rajasthan and others dated 16.11.2015	इस बिन्दु के क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना में रोड के दोनों साइड वृक्षारोपण किये जाने का उल्लेख है किन्तु रोड के दोनों साइड प्राकृतिक रूप से विभिन्न प्रजाति के पौधों उपलब्ध है इस कारण प्रश्नगत परियोजना में रोड के दोनों साइड वनीकरण हेतु कोई भी परियोजना प्रस्तावित नहीं किया गया है ।
12	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas.	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय की वचनबद्धता उपलब्ध करायी गयी है कि वन क्षेत्रों में प्रस्तावित मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाए जायेंगे । वचनबद्धता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है ।
13	The user agency shall provide suitable under/over pass in Protected Area/Forest Area as per recommendations of CWLW/NBWL/FAC/REC.	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि CWLW/NBWL/FAC/REC. की सिफारिशों के अनुसार आरक्षित वन क्षेत्रों में उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध करायेगी ।



14	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार (यदि लागू हो तो) पर्यावरण मंजूरी प्राप्त कर उपलब्ध करायी गयी है जिसकी प्रति <u>संलग्न है</u> ।
15	The layout plan of the proposal shall not be change without prior approval of Central Government .	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आषय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि भारत सरकार की पूर्व अनुमोदन के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा । प्रमाण पत्र की प्रति <u>संलग्न है</u> ।
16	No labour camp shall be established on the forest land	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आषय की वचनबद्धता प्रस्तुत की गयी है कि प्रश्नगत मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभावित वन क्षेत्रों में श्रमिक शिविर कैम्प स्थापित नहीं किया जायेगा । प्रमाण पत्र की प्रति <u>संलग्न है</u> ।
17	Sufficient firewood preferably the alternate fuel shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel .	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया है कि वन विभाग या वन विकास निगम या वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से खरीदने के बाद श्रमिक को पर्याप्त जलाऊ लकड़ी उपलब्ध करायी जायेगी ।
18	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost .as per the directions of the concerned Divisional Forest officer .	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि ,प्रस्तावित वन भूमि की सीमा का उपयुक्त सीमांकन में होने वाले व्यय को किये जाने हेतु पी0एम0जी0एस0आई खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्ण रूप से वचनबद्ध है। प्रमाण पत्र <u>संलग्न है</u> ।
19	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना कार्य के सम्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन हेतु वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त अथवा नवीन पथ का निर्माण नहीं किया जायेगा । प्रमाण पत्र <u>संलग्न है</u> ।
20	The period of diversion this approval shall be co – terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life whichever is less.	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में दी जाने वाली पट्टे की अवधि या परियोजना जीवन जो भी कम हो, के साथ सह टर्मिनस होगी इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति प्रकट की गयी है ।
21	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आषय क वचनबद्धता प्रस्तुत की गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि का उपयोग परियोजना प्रस्ताव में निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा। प्रमाण पत्र की प्रति <u>संलग्न है</u> ।

22	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies. Department or person without prior approval of Govt. of india.	इस बिन्दु के क्रम मे प्रयोक्ता द्वारा इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गयी है कि प्रश्नगत वन भूमि को किसी भी परिस्थिति मे किसी अन्य अभिकरण या व्यक्ति को विना भारत सरकार की पूर्व अनुमति के हस्तान्तरण नहीं किया जायेगा । प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है ।
23	The KML file of the area to be diverted, the CA areas the proposed SMC work, the proposed Catchment area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.	इस बिन्दु के क्रम मे अवगत कराना है कि प्रस्तावित वन भूमि से संबंधित क्षेत्र, की के0एम0एल0 , सी0ए0 हेतु प्रस्तावित क्षेत्र , प्रस्तावित जलग्रहण क्षेत्र, उपचार क्षेत्र, और डब्लू.एल0एम0पी0 क्षेत्र, को काम शुरू होने से पहले प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभाग को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वाच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा ।
24	Any order of Temporary work permission in linear projects for tree cutting and commencement of work as per clause 11.2 of FCA Guidelines shall be passed under intimation to Nodal office and this office . Order of Temporary Work permission have to be uploaded on PARIVESH portal as well Nodal Officer will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year form the date of issue of such permission.	इस बिन्दु के क्रम मे अवगत कराना है कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के दिशानिर्देशों के अनुसार पेड़ काटने का कार्य उ0प्र0 वन निगम द्वारा किये जाने एवं कार्य शुरू करने के लिए अस्थायी कार्य अनुमति दिये जाने की कार्यवाही प्रभाग द्वारा करते हुए मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ तथा भारत सरकार को देते हुए उसे परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा । उक्त अनुमति की निगरानी मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी द्वारा कड़ाई से किये जायेगे तथा अनुमति आदेश जारी होने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद ऐसी अनुमति के तहत कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी ।
25	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (conservation)Act.1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt. 29/01/2018.	इस बिन्दु के क्रम मे अवगत कराना है कि उक्त समस्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जाएगा और भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी । शर्तों के अनुपालन किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है ।
26	Any other condition that ministry of Environment forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation. Protection and development of forest & wildlife.	इस बिन्दु के क्रम मे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गयी है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन और वन्य जीव संरक्षण और विकास के लिए समय-समय पर निर्धारित की जायेगी जिसका अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण पर बाध्यकारी होगा । प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है ।



27	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through (https://parivesh.nic.in)	इस बिन्दु के क्रम में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव से संबंधित जमा होने योग्य समस्त धनराशि (एनपीवी की निर्धारित धनराशि, क्षतिपूरक वनीकरण हेतु निर्धारित धनराशि व Enrichment वनीकरण हेतु निर्धारित धनराशि) परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa , में जमा कराते हुए उसकी सत्यापित प्रति उपलब्ध करायी गयी है जिसके अनुसार जमा धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है :-
	CA amount as per proposal	Rs. 19,68,116.00
	CA amount deposited	Rs. 19,68,116.00
	Difference in amount	0
	Reason for difference	Not Applicable
	NPV amount as per proposal	Rs. 19759929.00
	NPV amount deposited	Rs. 19759929.00
	Difference in amount	0
	Reason for difference	Not Applicable
	Any other amount deposited (Complete details be provided)	0
	CAMPA confirmation	परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa, के खाता संख्या- 1509061118819202 तथा IFSC-UBIN0996335 में SBI UTR No. SBIN123088331548 द्वारा दिनांक 29.03.2023 को रू0 21728045.00 जमा किया गया है जिसमें उक्त धनराशि रू0 19,68,116.00 तथा रू0 1,97,59,929.00 सम्मिलित है ।
28	The compliance report report on e-portal(https://parivesh.nic.in)	इस बिन्दु के क्रम में परियोजना से संबंधित समस्त बिन्दुओं की बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराते हुए उसे परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया गया है जिसकी स्लिप संलग्न है ।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत मामले की प्रेषित बिन्दुवार आख्या एतदसह संलग्न का आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(मनीष मिश्रा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

संख्या—602अ/समदिनांक

प्रतिलिपि— प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट को सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मनीष मित्तल)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।
R

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट-सोनभद्र ।

पत्रांक-318 / रेनुकूट / 15-295 दिनांक, रेनुकूट, जुलाई, 27, 2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक

मीरजापुर क्षेत्र

मीरजापुर ।

विषय:-

जनपद-सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग सोनभद्र द्वारा आर0एस0रोड(सिधहवा) से जोगेन्द्रा वाया खजुरा मार्ग के चैनेज संख्या- 0.000 से 20.150 तक में निर्मित मार्ग के चौड़ीकरण एवं सृद्धीकरण से प्रभावित 14.5603 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 758 वृक्षो/पौधो के पातन की अनुमति के संबंध में ।
(ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ROAD/118819/2021)

संदर्भ:-

- 1-भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक- 8बी/यू0पी0/06/33/2022/एफ0सी0/669 दिनांक- 04.11.2022
- 2-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक- 1608/11-सी- **FP/UP/ROAD/118819/2021** लखनऊ दिनांक- 07.11.2022
- 3-मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर का पत्रांक-1654/मी0/33 दिनांक-09.11.2022

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करे । प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक- 04.11.2022 द्वारा 28 (अट्ठाइस) शर्तों के अधीन जनपद-सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग सोनभद्र को आर0एस0रोड(सिधहवा) से जोगेन्द्रा वाया खजुरा मार्ग के चैनेज संख्या- 0.000 से 20.150 तक में निर्मित मार्ग के चौड़ीकरण एवं सृद्धीकरण से प्रभावित 14.5603 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 758 वृक्षो/पौधो के पातन की अनुमति हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश में अधिरोपित समस्त शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या आवश्यक अभिलेखों सहित टेबुलर फार्म में तैयार कराते हुए उपलब्ध कराने हेतु प्रभाग के पत्र संख्या- 1630/रेनुकूट/15-295 दिनांक- 17.11.2022 एवं विभिन्न अनुस्मारक पत्रों के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई, खण्ड लोक निर्माण विभाग सोनभद्र से अनुरोध किया गया । उक्त अनुरोध के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई, खण्ड लोक निर्माण विभाग सोनभद्र ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 391/67144 दिनांक- 04.05.2024 एवं पत्र संख्या- 604/67144 दिनांक- 05.07.2024 द्वारा बिन्दुवार अनुपालन आख्या आवश्यक अभिलेखों सहित प्रभाग में उपलब्ध कराया गया है ।

अतः प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये बिन्दुवार अनुपालन आख्या के आधार पर भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश दिनांक-04.11.2022 में अधिरोपित समस्त शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या टेबुलर फार्म में निम्नानुसार चार प्रतियों में आवश्यक अभिलेखों सहित विधिवत स्वीकृति जारी करने हेतु संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

क्र0 सं0	भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक-8बी/यू0पी0/06/33/2022/एफ0सी0/669 दिनांक- 04.11.2022 में अंकित शर्तों का विवरण	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है कि प्रश्नगत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा । वचनबद्धता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है ।
2	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project in handed over to the user agency	इस बिन्दु के क्रम में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना में प्रभावित 14.5603 हे0 वन भूमि के सापेक्ष 14.5603 हे0

		गैर वन भूमि वन विभाग के पक्ष में राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद कराते हुए खतौनी की प्रति उपलब्ध करायी गयी है जिसकी प्रति संलग्न है ।												
3	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 14.5603 ha. Equivalent non forest land in Range Myourpur. Village Katauli (6.56 ha) . Range Dudhi Village Baheradol (8.0003) District-Sonbhadra at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	इस बिन्दु के क्रम में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभावित वन भूमि 14.5603 हे० के सापेक्ष कुल 14.5603 हे० गैर वन भूमि रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत निम्न विवरण के अनुसार राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद कराते हुए खतौनी की प्रति उपलब्ध कराया गया है :- <table border="1"> <tr> <th>रेंज का नाम</th><th>ग्राम का नाम</th><th>गैर वन भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)</th></tr> <tr> <td>म्योरपुर</td><td>कटौधी</td><td>6.5600</td></tr> <tr> <td>दुद्धी</td><td>बहेराडोल</td><td>8.0003</td></tr> <tr> <td colspan="2">कुल योग-</td><td>14.5603</td></tr> </table> उक्त गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण किये जाने हेतु वांछित धनराशि उ०प्र० कैम्पा में जमा है । प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति जारी किये जाने के उपरान्त वांछित धनराशि उ०प्र० कैम्पा से प्राप्त कराते हुए वन विभाग द्वारा स्थानीय मिश्रित प्रजाति के पौधों का वृक्षारोपण किया जायेगा ।	रेंज का नाम	ग्राम का नाम	गैर वन भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	म्योरपुर	कटौधी	6.5600	दुद्धी	बहेराडोल	8.0003	कुल योग-		14.5603
रेंज का नाम	ग्राम का नाम	गैर वन भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)												
म्योरपुर	कटौधी	6.5600												
दुद्धी	बहेराडोल	8.0003												
कुल योग-		14.5603												
4	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval . A copy of the original notification declaring the non forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval.	इस बिन्दु के क्रम में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभावित वन भूमि 14.5603 हे० के सापेक्ष कुल 14.5603 हे० गैर वन भूमि रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत निम्नानुसार उपलब्ध कराया गया है :- <table border="1"> <tr> <th>रेंज का नाम</th><th>ग्राम का नाम</th><th>गैर वन भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)</th></tr> <tr> <td>म्योरपुर</td><td>कटौधी</td><td>6.5600</td></tr> <tr> <td>दुद्धी</td><td>बहेराडोल</td><td>8.0003</td></tr> <tr> <td colspan="2">कुल योग-</td><td>14.5603</td></tr> </table> उक्त गैर वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-29 के तहत विज्ञप्ति जारी किये जाने हेतु विज्ञप्ति आलेख / प्रस्ताव उ०प्र० शासन को प्रेषित किये जाने हेतु प्रभाग द्वारा उच्च स्तर पर प्रेषित किया गया है ।	रेंज का नाम	ग्राम का नाम	गैर वन भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	म्योरपुर	कटौधी	6.5600	दुद्धी	बहेराडोल	8.0003	कुल योग-		14.5603
रेंज का नाम	ग्राम का नाम	गैर वन भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)												
म्योरपुर	कटौधी	6.5600												
दुद्धी	बहेराडोल	8.0003												
कुल योग-		14.5603												
5	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey. Demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the projet authority. The CA plantation will be maintained for 10 years . The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for work scheduled for subsequent years.	इस बिन्दु के क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित 14.5603 हे० वन भूमि के सापेक्ष रेनुकूट वन प्रभाग के म्योरपुर रेंज अन्तर्गत ग्राम-कटौधी में 6.5600 हे० व दुद्धी रेंज अन्तर्गत ग्राम-बहेराडोल में 8.0003 हे० कुल 14.5603 हे० गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण किया जाना प्रस्तावित किया गया है । उक्त प्रस्तावित क्षेत्र पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न व्यय अनुमान पत्र में अंकित निर्धारित धनराशि रु० 19,68,116.00 (मु० उन्नीस लाख अड़सठ हजार एक सौ सोलह मात्र) परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से												

		Uttar Pradesh Campa, के खाता संख्या-1509061118819202 तथा IFSC-UBIN0996335 मे SBI UTR No. SBIN123088331548 द्वारा दिनांक-29.03.2023 को रू0 21728045.00 जमा कराते हुए उसकी सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी गयी है जिसमे उक्त धनराशि रू0 1968116.00 सम्मिलित है । जमा रसीद की छाया प्रति संलग्न है ।
6	The State Government shall charge the Net Present Value(NPV) for the 14.5603 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in I.A. No. 566 in WP(C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-Fc (pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06.01.2022 and 19.01.2022 shall be deposited by User Agency in this regard.	इस बिन्दु के क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न भाग-1। (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा गया है) में हरियाली धनत्व 0.8 अंकित किया गया है जो अत्यन्त सधन वन की श्रेणी में आता है । भारत सरकार के पत्र दिनांक- 06.01.2022 में इको क्लास -1। Tropical Dry Deciduous Forests (Very Dense Forest) के लिए एन0पी0वी0 की निर्धारित धनराशि रू0 1357110 प्रति हे0 निर्धारित किया गया है । अतः परियोजना में प्रभावित 14. 5603 हे0 आरक्षित वन भूमि का वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि 14.5603 हे0 X 1357110 प्रति हे0 = रू0 19759928.73 या 19759929.00 (मु0 एक करोड़ सन्तानवे लाख उन्सठ हजार नौ सौ उन्तीस मात्र) परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa, के खाता संख्या-1509061118819202 तथा IFSC-UBIN0996335 मे SBI UTR No. SBIN123088331548 द्वारा दिनांक-29.03.2023 को रू0 21728045.00 जमा कराते हुए उसकी सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी गयी है जिसमे उक्त धनराशि रू0 19759929.00 सम्मिलित है । जमा रसीद की छाया प्रति संलग्न है ।
7	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to the effect.	इस बिन्दु के क्रम में अवगत कराना है कि एन0पी0वी0 की धनराशि में यदि भविष्य में कोई बढ़ोतरी होती है तो उसे जमा किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है ।
8	User agency shall restrict the felling of trees to 758 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the Cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department .	इस बिन्दु के क्रम में अवगत कराना है कि परियोजना में प्रभावित 758 वृक्षों का गणना/छपान कराते हुए लाट संख्या- 152 व 153 वर्ष 2023-24 उ0प्र0 वन निगम रेनुकूट को पातन हेतु प्रेषित की जा चुकी है । पातन हेतु प्रस्तावित वृक्षों के पातन/ढुलान आदि पर होने वाले व्यय की निर्धारित धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उ0प्र0 वन निगम के निर्धारित खाता संख्या 29690200015824 मे दिनांक-15.03.2024 को जमा की जा चुकी है । जमा

		रसीद की छाया प्रति संलग्न है ।
9	The Complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	इस बिन्दु के क्रम में जिलाधिकारी सोनभद्र के स्तर से जारी वांछित प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न है ।
10	NO violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.	इस बिन्दु के क्रम में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधानों का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य नहीं किया गया है । प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है ।
11	Plantation shall be raised on both sides of the road and median(if available) by the State Forest Department at the cost of User Agency as per submitted scheme according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju V/s State of Rajasthan and others dated 16.11.2015	इस बिन्दु के क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना में रोड के दोनों साइड वृक्षारोपण किये जाने का उल्लेख है किन्तु रोड के दोनों साइड प्राकृतिक रूप से विभिन्न प्रजाति के पौधों उपलब्ध है इस कारण प्रश्नगत परियोजना में रोड के दोनों साइड वनीकरण हेतु कोई भी परियोजना प्रस्तावित नहीं किया गया है ।
12	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas.	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय की वचनबद्धता उपलब्ध करायी गयी है कि वन क्षेत्रों में प्रस्तावित मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाए जायेंगे । वचनबद्धता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है ।
13	The user agency shall provide suitable under/over pass in Protected Area/Forest Area as per recommendations of CWLW/NBWL/FAC/REC.	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि CWLW/NBWL/FAC/REC. की सिफारिशों के अनुसार आरक्षित वन क्षेत्रों में उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध करायेगी ।
14	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable .	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार (यदि लागू हो तो) पर्यावरण मंजूरी प्राप्त कर उपलब्ध करायी गयी है जिसकी प्रति संलग्न है ।
15	The layout plan of the proposal shall not be change without prior approval of Central Government .	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि भारत सरकार की पूर्व अनुमोदन के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा । प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है ।
16	No labour camp shall be established on the forest land	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत की गयी है कि प्रश्नगत मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभावित वन क्षेत्रों में श्रमिक शिविर कैम्प स्थापित नहीं किया जायेगा । प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है ।
17	Sufficient firewood preferably the alternate fuel shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया है कि वन विभाग या वन विकास निगम या वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से खरीदने के बाद श्रमिक

	source of alternate fuel .	को पर्याप्त जलाऊ लकड़ी उपलब्ध करायी जायेगी ।
18	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost as per the directions of the concerned Divisional Forest officer .	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि की सीमा का उपयुक्त सीमांकन में होने वाले व्यय को किये जाने हेतु पी0एम0जी0एस0आई खझ लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्ण रूप से वचनबद्ध है । प्रमाण पत्र संलग्न है ।
19	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना कार्य के सम्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन हेतु वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त अथवा नवीन पथ का निर्माण नहीं किया जायेगा । प्रमाण पत्र संलग्न है ।
20	The period of diversion this approval shall be co –terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life whichever is less.	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में दी जाने वाली पट्टे की अवधि या परियोजना जीवन जो भी कम हो, के साथ सह टर्मिनस होगी इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति प्रकट की गयी है ।
21	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय क वचनबद्धता प्रस्तुत की गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि का उपयोग परियोजना प्रस्ताव में निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा । प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है ।
22	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies. Department or person without prior approval of Govt. of india.	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता द्वारा इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गयी है कि प्रश्नगत वन भूमि को किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य अभिकरण या व्यक्ति को बिना भारत सरकार की पूर्व अनुमति के हस्तान्तरण नहीं किया जायेगा । प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है ।
23	The KML file of the area to be diverted, the CA areas the proposed SMC work, the proposed Catchment area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.	इस बिन्दु के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्तावित वन भूमि से संबंधित क्षेत्र, की के0एम0एल0 , सी0ए0 हेतु प्रस्तावित क्षेत्र , प्रस्तावित जलग्रहण क्षेत्र, उपचार क्षेत्र, और डब्लू.एल0एम0पी0 क्षेत्र, को काम शुरू होने से पहले प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभाग को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वाच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा ।
24	Any order of Temporary work permission in linear projects for tree cutting and commencement of work as per clause 11.2 of FCA Guidelines shall be passed under intimation to Nodal office and this office . Order of Temporary Work permission have to be uploaded on PARIVESH portal as well Nodal Officer will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	इस बिन्दु के क्रम में अवगत कराना है कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के दिशानिर्देशों के अनुसार पेड़ काटने का कार्य उ0प्र0 वन निगम द्वारा किये जाने एवं कार्य शुरू करने के लिए अस्थायी कार्य अनुमति दिये जाने की कार्यवाही प्रभाग द्वारा करते हुए मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ तथा भारत सरकार को देते हुए उसे परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा । उक्त अनुमति की निगरानी मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी द्वारा कड़ाई से किये जायेगे तथा अनुमति आदेश जारी होने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद ऐसी

		अनुमति के तहत कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी ।
25	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (conservation) Act. 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt. 29/01/2018.	इस बिन्दु के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त समस्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जाएगा और भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी । शर्तों के अनुपालन किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है ।
26	Any other condition that ministry of Environment forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation. Protection and development of forest & wildlife.	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गयी है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन और वन्य जीव संरक्षण और विकास के लिए समय-समय पर निर्धारित की जायेगी जिसका अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण पर बाध्यकारी होगा । प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है ।
27	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through (https://parivesh.nic.in)	इस बिन्दु के क्रम में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव से संबंधित जमा होने योग्य समस्त धनराशि (एनपीवी की निर्धारित धनराशि, क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु निर्धारित धनराशि व Enrichment वनीकरण हेतु निर्धारित धनराशि) परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa, में जमा कराते हुए उसकी सत्यापित प्रति उपलब्ध करायी गयी है जिसके अनुसार जमा धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है :-
	CA amount as per proposal	Rs. 19,68,116.00
	CA amount deposited	Rs. 19,68,116.00
	Difference in amount	0
	Reason for difference	Not Applicable
	NPV amount as per proposal	Rs. 19759929.00
	NPV amount deposited	Rs. 19759929.00
	Difference in amount	0
	Reason for difference	Not Applicable
	Any other amount deposited (Complete details be provided)	0
	CAMPA confirmation	परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa, के खाता संख्या- 1509061118819202 तथा IFSC-UBIN0996335 में SBI UTR No. SBIN123088331548 द्वारा दिनांक- 29.03.2023 को ₹0 21728045.00 जमा किया गया है जिसमें उक्त धनराशि ₹0 19,68,116.00 तथा ₹0 1,97,59,929.00 सम्मिलित है ।
28	The compliance report report on e-portal(https://purivesh.nic.in)	इस बिन्दु के क्रम में परियोजना से संबंधित समस्त बिन्दुओं की बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराते हुए उसे परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया गया है

जिसकी स्लिप संलग्न है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त अनुपालन आख्या के आधार पर प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार के स्तर से विधिवत स्वीकृति जारी किये जाने के संबंध में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें ।
संलग्नक:-उपरोक्तानुसार 3 प्रतियों में

भवदीय

(डा० भानेन्द्र सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट

संख्या- अ/सम दिनांकित ।

02/8/24 प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, 17 राणा प्रताप मार्ग, उ०प्र० लखनऊ ।
- 2- मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ०प्र० कैम्पा, लखनऊ ।
- 3- जिलाधिकारी, सोनभद्र ।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई, खण्ड लोक निर्माण विभाग सोनभद्र ।

(डा० भानेन्द्र सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट

539

33

03-08-2024

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, सोनभद्र।

पत्रांक : 604/6न144-
सेवा में,

दिनांक : 05/07/2024.

प्रभागीय वनाधिकारी
रेनूकूट वन प्रभाग
जनपद सोनभद्र।

विषय :-

जनपद सोनभद्र के रेनूकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत आर0एस0 रोड (सिधहवा) से जोगेन्द्रा वाया खजुरा मार्ग के किमी0 0.00 से 20.150 तक के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि 14.5603 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 758 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या - FP/UP/Road/118819/2021

सन्दर्भ :-

- 1- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र सं0 8B/UP/06/33/2021/FC/669 दिनांक 04-11-2022
2. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 1608/11सी-एफ0पी0/यू0पी0/रोड/118819/2021 लखनऊ दिनांक 07.11.2022
- 3- आपका पत्रांक- 1630/रेनूकूट/15-295 दि0 17-11-2022
4. आपका पत्रांक 2188/रेनूकूट/15-295, दिनांक 03.01.2023
5. आपका पत्रांक 3104/रेनूकूट/15-295, दिनांक 18.03.2023
6. आपका पत्रांक 3595/रेनूकूट/15-295, दिनांक 27.04.2023
7. आपका पत्रांक 3621/रेनूकूट/15-295, दिनांक 29.04.2023
8. आपका पत्रांक 4060/रेनूकूट/15-295, दिनांक 03.06.2023
9. आपका पत्रांक 572/रेनूकूट/15-295, दिनांक 09.08.2023
10. आपका पत्रांक 1395/रेनूकूट/15-295, दिनांक 26.10.2023
11. आपका पत्रांक 2575/रेनूकूट/15-295, दिनांक 19.01.2024
12. आपका पत्रांक 2856/रेनूकूट/15-295, दिनांक 03.02.2024
13. लाट संख्या 152/203-24 में प्रभावित वृक्ष 393 के पातन के सम्बन्ध में प्रभागीय लागिंग प्रबन्धक उ0प्र0 वन निगम, रेनूकूट सोनभद्र का पत्रांक 1132 दिनांक 15.12.2023, 1259, दिनांक 17.02.2024 व पत्र संख्या 1270 दिनांक 21.02.2024
14. लाट संख्या 153/203-24 में प्रभावित वृक्ष 365 के पातन के सम्बन्ध में प्रभागीय लागिंग प्रबन्धक उ0प्र0 वन निगम, रेनूकूट सोनभद्र का पत्रांक 1133 दिनांक 15.12.2023, 1258, दिनांक 17.02.2024 व पत्र संख्या 1268 दिनांक 21.02.2024
15. आपका पत्रांक 3501/रेनूकूट/15-295, दिनांक 13.03.2024
16. आपका पत्रांक 3905/रेनूकूट/15-295, दिनांक 10.04.2024
17. इस कार्यालय का पत्रांक 310/67144-पी0एम0जी0एस0वाई0/2023, दिनांक 01.04.2023
18. इस कार्यालय का पत्रांक 381/67144-पी0एम0जी0एस0वाई0/2023, दिनांक 28.04.2023
19. इस कार्यालय का पत्रांक 462/67144-पी0एम0जी0एस0वाई0/2023, दिनांक 23.05.2023
20. इस कार्यालय का पत्रांक 802/67144-पी0एम0जी0एस0वाई0/2023, दिनांक 07.08.2023
21. इस कार्यालय का पत्रांक 30/67144-पी0एम0जी0एस0वाई0/2023, दिनांक 19.01.2024
22. इस कार्यालय का पत्रांक 91/67144-पी0एम0जी0एस0वाई0/2024, दिनांक 08.02.2024
23. इस कार्यालय का पत्रांक 156/67144-पी0एम0जी0एस0वाई0/2024, दिनांक 23.02.2024
24. इस कार्यालय का पत्रांक 245/67144-पी0एम0जी0एस0वाई0/2024, दिनांक 16.03.2024
25. इस कार्यालय का पत्रांक 300/67144-पी0एम0जी0एस0वाई0/2024, दिनांक 06.04.2024
26. इस कार्यालय का पत्रांक 391/67144-पी0एम0जी0एस0वाई0/2024, दिनांक 04.05.2024
27. आपका पत्रांक 4613/रेनूकूट/15-295, दिनांक 18.06.2024

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में प्रभावित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की सैद्धान्तिक अनुमति में वर्णित शर्तों के बिन्दुवार अनुपालन हेतु निम्नलिखित धनराशि (E-Payment Portal के माध्यम से जमा कर) रसीद (आन-लाइन प्रति) एवं वचनबद्धता प्रमाण पत्र की मूल हस्ताक्षरित 05-05 प्रतियों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर निम्नानुसार प्रेषित है-

S.NO.	CONDITIONS	REPLY/ENCLOSERS
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
2	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project in handed over to the user agency.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना में प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष गैर वन भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित करा दिया गया है। अभिलेख संलग्न है।
3	Compensatory afforestation shall be taken up by the forest department over 14.5603 ha. Equivalent non forest land in Range Myorepur. Village Katauli (6.56ha). Range Duddhi village Baheradol (8.003) District-Sonebhadra at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु प्रभावित वन भूमि 14.5603 हे० के सापेक्ष उपलब्ध करायी गयी गैर वन भूमि 14.5603 हे० का वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण करा दिया गया है। खतौनी एवं कब्जा प्रमाण पत्र संलग्न है।
4	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and muted in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non forest land under section 4 or section 29 of the indian forest Act, 1927 or under the relevant section of the state forest act as the case may be will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत करना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभावित वन भूमि 14.5603 हे० के सापेक्ष कटौती में 6.5600 हे० एवं बहेराडोल में 8.003 हे० कुल 14.5603 हे० गैर वन भूमि को वन विभाग उ०प्र० सरकार रेनूकूट वन प्रभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण करा दिया गया है और सम्बन्धित प्रपत्र 7 व 14 तथा प्रस्तावित क्षेत्र का 100 प्रतिशत स्केल पर तरमीमी मानचित्र की 6-6 प्रति वियरिंग चार्ट सहित इस कार्यालय के पत्रांक 462/यू०पी० 67144-पी०एम०जी०एस०वाई०/2023 दिनांक 23.05.2023 द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है। हस्तान्तरित खतौनी की छायाप्रति संलग्न है।
5	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rate as per compensatory Demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for work scheduled for subsequent years.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभावित वन भूमि 14.5603 हे० गैर वन भूमि पर छतिपूरक वनीकरण हेतु अंकित निर्धारित धनराशि रु० 1968116.00 परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई चालान के माध्यम से दिनांक 29.03.2023 को उत्तर प्रदेश कैम्पा फण्ड में ई पोर्टल से ई-चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSC - UBIN0996335, A/C No. 1509061118819202 में जमा करा दिया गया है, जिसकी सत्यापित छाया प्रति संलग्न है।
6	The State Government shall charge the net present Value (NPV) for the 14.5603 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30-10-2022, 01-08-2003, 28-03-2008, 24-04-2008 and 09-05-2008 in I.A. No. 566 in WP(C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-Fc(pt. II) dated 18-09-2002, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 05-02-2009 Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by user Agency in this regard.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभावित वन भूमि 14.5603 हे० वन भूमि का एन०पी०वी० की धनराशि रु० 19759929.00/- दिनांक 29.03.2023 को कैम्पा फण्ड में ई पोर्टल से ई-चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSC - UBIN0996335, A/C No. 1509061118819202 में जमा कर दिया गया है, जिसकी सत्यापित छाया प्रति संलग्न है।
7	Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the expert Committee, shall be charged by the State Government from the user Agency. The User Agency Shall furnish an undertaking the effect.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
8	User agency shall restrict the felling of trees to 758 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and by the Cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभावित 758 पौधों/वृक्षों गणना/छपान हेतु धनराशि रु० 5420.00 का बैंक ड्राफ्ट प्रमाणीय वनाधिकारी, रेनूकूट वन प्रभाग, रेनूकूट सोनभद्र को उपलब्ध करा दिया गया है (डी०डी० की छाया प्रति संलग्न है) एवं पेड़ों के पातन एवं ढुलान हेतु धनराशि रु०

		889789.00 प्रभागीय लौंगिंग प्रबन्धक, उ०प्र० वन निगम द्वारा मांगी गयी वांछित धनराशि को जमा किया जा चुका है। छाया प्रति संलग्न है।
9	The Complete Compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	इस बिन्दु के अनुपालन में जिलाधिकारी, सोनभद्र द्वारा जारी वांछित प्रमाण पत्र संलग्न है।
10	No violation of FCA Certificate from Concerned DFO Shall be Provided.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
11	Plantation shall be raised on both sides of the road and median (if available) by the State Forest Department at the cost of User Agency as per submitted scheme according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju V/s State of Rajasthan and others dated 16-11-2015	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि परियोजना में वनीकरण हेतु कोई भी परियोजना प्रस्तावित नहीं किया गया है।
12	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
13	The user agency shall provided suitable under/over pass in Protected Area/Forest area as per recommendations of CWLW/NBWL/FAC/REC.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
14	User agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	इस बिन्दु के अनुपालन में पर्यावरण मंजूरी सम्बन्धित अभिलेख संलग्न है।
15	The layout plan of the proposal shall not be change without prior approval of Central Government.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
16	No labour camp shall be established on the forest land.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
17	Sufficient firewood preferably the alternate fuel shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the state forest department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग या वन विकास निगम या वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से खरीदने के बाद श्रमिक को पर्याप्त जलाउ लकड़ी उपलब्ध करायी जायेगी।
18	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost as per the directions of the concerned Divisional Forest officer.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
19	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
20	The period of diversion this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life whichever is less.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में दी जाने वाली पट्टे की अवधि या परियोजना जीवन जो भी कम हो, के साथ सहटर्निमस होगी।
21	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
22	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies. Department or person without prior approval of Govt. of india.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
23	The KML file of the area to be diverted, the CA areas the proposed SMC work, the proposed catchment area treatment area and the WLMP. area shall be uploaded on e-green watch portal with all requisite details before commencement of works.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावित वन भूमि से सम्बन्धित क्षेत्र की के०एम०एल०, सी०ए० हेतु प्रस्तावित क्षेत्र को कार्य प्रारम्भ होने से पहले प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभाग को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वाच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

24	any order of Temporary work permission in linear projects for tree cutting and commencement of work as per clause 11.2 of FCA Guidelines shall be passed under intimation to Nodal Office and this office order of temporary work permission have to be uploaded on PARIVESH portal as well Nodal Officer will Strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के दिशा-निर्देशों के अनुसार पेड़ काटने व कार्य शुरू करने के लिए अस्थायी कार्य अनुमति दिये जाने की सूचना प्रभाग द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ तथा भारत सरकार को देते हुए उसे परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
25	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (conservation) Act. 1980 and action would be taken as per the MoEF & CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC Dt. 29-01-2018.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
26	Any other condition that ministry of Environment forest & Climate change may stipulate from time to time in the interest of conservation. Protection and development of forest & wildlife.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
27	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through (https://parivesh.nic.in)	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव से सम्बन्धित जमा होने योग्य समस्त धनराशि परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालन के माध्यम से उ०प्र० कैम्पा से जमा कराने की सत्यापित प्रति उपलब्ध करा दी गयी है (छाया प्रति संलग्न)।
28	The compliance report on e-portal (https://parivesh.nic.in)	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि परियोजना से सम्बन्धित समस्त बिन्दुओं की बिन्दुवार अनुपालन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है। सम्बन्धित पावती की सत्यापित प्रति संलग्न है।

उपरोक्तानुसार उ०प्र० सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र सहित सभी शर्तों की अनुपालन आख्या पुनः इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इस प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत कराने हेतु अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

(प्रशान्त यादव)

अधिरासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,
लो०नि०वि०-सोनभद्र।

दिनांक :

पत्रांक :

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० क्षेत्र, लो०नि०वि०, प्रयागराज।
2. जिलाधिकारी, जनपद सोनभद्र।
3. अधीक्षण अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० वृत्त, लो०नि०वि० वाराणसी।

अधिरासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,
लो०नि०वि०-सोनभद्र।



L.T.
अ० प्र०
08/07/2024

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, सोनभद्र।

पत्रांक : 391/67144

दिनांक : 04/05/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी

रेनूकूट वन प्रभाग

जनपद सोनभद्र।

विषय :-

जनपद सोनभद्र के रेनूकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत आर0एस0 रोड (सिधहवा) से जोगेन्द्रा वाया खजुरा मार्ग के किमी0 0.00 से 20.150 तक के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि 14.5603 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 758 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या - FP/UP/Road/118819/2021

सन्दर्भ :-

1- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र सं0 8B/UP/06/33/2021/FC/669 दिनांक 04-11-2022

2. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 1608/11सी-एफ0पी0/यू0पी0/रोड/118819/2021 लखनऊ दिनांक 07.11.2022.

3- आपका पत्रांक- 1630/रेनूकूट/15-295 दि0 17-11-2022

4. आपका पत्रांक 2188/रेनूकूट/15-295, दिनांक 03.01.2023

5. आपका पत्रांक 3104/रेनूकूट/15-295, दिनांक 18.03.2023

6. आपका पत्रांक 3595/रेनूकूट/15-295, दिनांक 27.04.2023

7. आपका पत्रांक 3621/रेनूकूट/15-295, दिनांक 29.04.2023

8. आपका पत्रांक 4060/रेनूकूट/15-295, दिनांक 03.06.2023

9. आपका पत्रांक 572/रेनूकूट/15-295, दिनांक 09.08.2023

10. आपका पत्रांक 1395/रेनूकूट/15-295, दिनांक 26.10.2023

11. आपका पत्रांक 2575/रेनूकूट/15-295, दिनांक 19.01.2024

12. आपका पत्रांक 2856/रेनूकूट/15-295, दिनांक 03.02.2024

13. लाट संख्या 152/203-24 में प्रभावित वृक्ष 393 के पातन के सम्बन्ध में प्रभागीय लागिंग प्रबन्धक उ0प्र0 वन निगम, रेनूकूट सोनभद्र का पत्रांक 1132 दिनांक 15.12.2023, 1259, दिनांक 17.02.2024 व पत्र संख्या 1270 दिनांक 21.02.2024

14. लाट संख्या 153/203-24 में प्रभावित वृक्ष 365 के पातन के सम्बन्ध में प्रभागीय लागिंग प्रबन्धक उ0प्र0 वन निगम, रेनूकूट सोनभद्र का पत्रांक 1133 दिनांक 15.12.2023, 1258, दिनांक 17.02.2024 व पत्र संख्या 1268 दिनांक 21.02.2024

15. आपका पत्रांक 3501/रेनूकूट/15-295, दिनांक 13.03.2024

16. आपका पत्रांक 3905/रेनूकूट/15-295, दिनांक 10.04.2024

17. इस कार्यालय का पत्रांक 310/67144-पी0एम0जी0एस0वाई0/2023, दिनांक 01.04.2023

18. इस कार्यालय का पत्रांक 381/67144-पी0एम0जी0एस0वाई0/2023, दिनांक 28.04.2023

19. इस कार्यालय का पत्रांक 462/67144-पी0एम0जी0एस0वाई0/2023, दिनांक 23.05.2023

20. इस कार्यालय का पत्रांक 802/67144-पी0एम0जी0एस0वाई0/2023, दिनांक 07.08.2023

21. इस कार्यालय का पत्रांक 30/67144-पी0एम0जी0एस0वाई0/2023, दिनांक 19.01.2024

22. इस कार्यालय का पत्रांक 91/67144-पी0एम0जी0एस0वाई0/2024, दिनांक 08.02.2024

23. इस कार्यालय का पत्रांक 156/67144-पी0एम0जी0एस0वाई0/2024, दिनांक 23.02.2024

24. इस कार्यालय का पत्रांक 245/67144-पी0एम0जी0एस0वाई0/2024, दिनांक 16.03.2024

25. इस कार्यालय का पत्रांक 300/67144-पी0एम0जी0एस0वाई0/2024, दिनांक 06.04.2024

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में प्रभावित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की सैद्धान्तिक अनुमति में वर्णित शर्तों के बिन्दुवार अनुपालन हेतु निम्नलिखित धनराशि (E-Payment Portal के माध्यम से जमा कर) रसीद (आन-लाइन प्रति) एवं वचनबद्धता प्रमाण पत्र की मूल हस्ताक्षरित 05-05 प्रतियों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर निम्नानुसार प्रेषित है-

S.NO.	CONDITIONS	REPLY/ENCLOSERS
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
2	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project in handed over to the user agency.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना में प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष गैर

		वन भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित करा दिया गया है। अभिलेख संलग्न है।
3	Compensatory afforestation shall be taken up by the forest department over 14.5603 ha. Equivalent non forest land in Range Myorepur. Village Katauli (6.56ha). Range Duddhi village Baheradol (8.003) District-Sonebhadra at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु प्रभावित वन भूमि 14.5603 हे० के सापेक्ष उपलब्ध करायी गयी गैर वन भूमि 14.5603 हे० का वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण करा दिया गया है। खतौनी एवं कब्जा प्रमाण पत्र संलग्न है।
4	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and muted in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non forest land under section 4 or section 29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant section of the state forest act as the case may be will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत करना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभावित वन भूमि 14.5603 हे० के सापेक्ष कटौती में 6.5600 हे० एवं बहेराडोल में 8.003 हे० कुल 14.5603 हे० गैर वन भूमि को वन विभाग उ०प्र० सरकार रेनूकूट वन प्रभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण करा दिया गया है और सम्बन्धित प्रपत्र 7 व 14 तथा प्रस्तावित क्षेत्र का 100 प्रतिशत स्केल पर तरसीमी मानचित्र की 6-6 प्रति वियरिंग चार्ट सहित इस कार्यालय के पत्रांक 462/यू०पी० 67144-पी०एम०जी०एस०वाई०/2023 दिनांक 23.05.2023 द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है। हस्तान्तरित खतौनी की छायाप्रति संलग्न है।
5	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rate as per compensatory Demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for work scheduled for subsequent years.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभावित वन भूमि 14.5603 हे० गैर वन भूमि पर छतिपूरक वनीकरण हेतु अंकित निर्धारित धनराशि रु० 1968116.00 परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई चालान के माध्यम से दिनांक 29.03.2023 को उत्तर प्रदेश कैम्पा फण्ड में ई पोर्टल से ई-चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSC - UBIN0996335, A/C No. 1509061118819202 में जमा करा दिया गया है, जिसकी सत्यापित छाया प्रति संलग्न है।
6	The State Government shall charge the net present Value (NPV) for the 14.5603 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30-10-2022, 01-08-2003, 28-03-2008, 24-04-2008 and 09-05-2008 in I.A. No. 566 in WP(C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-Fc(pt. II) dated 18-09-2002, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 05-02-2009 Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by user Agency in this regard.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभावित वन भूमि 14.5603 हे० वन भूमि का एन०पी०वी० की धनराशि रु० 19759929.00/- दिनांक 29.03.2023 को कैम्पा फण्ड में ई पोर्टल से ई-चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSC - UBIN0996335, A/C No. 1509061118819202 में जमा कर दिया गया है, जिसकी सत्यापित छाया प्रति संलग्न है।
7	Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the expert Committee, shall be charged by the State Government from the user Agency. The User Agency Shall furnish an undertaking the effect.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
8	User agency shall restrict the felling of trees to 758 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and by the Cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभावित 758 पौधों/वृक्षों गणना/छपान हेतु धनराशि रु० 5420.00 का बैंक ड्राफ्ट प्रभागीय वनाधिकारी, रेनूकूट वन प्रभाग, रेनूकूट सोनभद्र को उपलब्ध करा दिया गया है (डी०डी० की छाया प्रति संलग्न है) एवं पेड़ों के पातन एवं ढुलान हेतु धनराशि रु० 889789.00 प्रभागीय लौंगिंग प्रबन्धक, उ०प्र० वन निगम द्वारा मांगी गयी वांछित धनराशि को जमा किया जा चुका है। छाया प्रति संलग्न है।
9	The Complete Compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	इस बिन्दु के अनुपालन में जिलाधिकारी, सोनभद्र द्वारा जारी वांछित प्रमाण पत्र संलग्न है।

10	No violation of FCA Certificate from Concerned DFO Shall be Provided.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
11	Plantation shall be raised on both sides of the road and median (if available) by the State Forest Department at the cost of User Agency as per submitted scheme according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju V/s State of Rajasthan and others dated 16-11-2015	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि परियोजना में वनीकरण हेतु कोई भी परियोजना प्रस्तावित नहीं किया गया है।
12	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
13	The user agency shall provided suitable under/over pass in Protected Area/Forest area as per recommendations of CWLW/NBWL/FAC/REC.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
14	User agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	इस बिन्दु के अनुपालन में पर्यावरण मंजूरी सम्बन्धित अभिलेख संलग्न है।
15	The layout plan of the proposal shall not be change without prior approval of Central Government.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
16	No labour camp shall be established on the forest land.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
17	Sufficient firewood preferably the alternate fuel shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the state forest department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग या वन विकास निगम या वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से खरीदने के बाद श्रमिक को पर्याप्त जलाऊ लकड़ी उपलब्ध करायी जायेगी।
18	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost as per the directions of the concerned Divisional Forest officer.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
19	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
20	The period of diversion this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life whichever is less.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में दी जाने वाली पट्टे की अवधि या परियोजना जीवन जो भी कम हो, के साथ सहटर्निमस होगी।
21	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
22	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies. Department or person without prior approval of Govt. of india.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
23	The KML file of the area to be diverted, the CA areas the proposed SMC work, the proposed catchment area treatment area and the WLMP area shall be uploaded on e-green watch portal with all requisite details before commencement of works.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावित वन भूमि से सम्बन्धित क्षेत्र की कोऑर्डिनेट्स, सीओएओ हेतु प्रस्तावित क्षेत्र को कार्य प्रारम्भ होने से पहले प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभाग को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वाच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
24	any order of Temporary work permission in linear projects for tree cutting and commencement of work as per clause 11.2 of FCA Guidelines shall be passed under intimation to Nodal Office and this office order of temporary work permission have to be uploaded on PARIVESH portal as well Nodal Officer will Strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के दिशा-निर्देशों के अनुसार पेड़ काटने व कार्य शुरू करने के लिए अस्थायी कार्य अनुमति दिये जाने की सूचना प्रभाग द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ तथा भारत सरकार को देते हुए उसे परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
25	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (conservation) Act. 1980 and action would be taken as per the	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।

	MoEF & CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC Dt. 29-01-2018.	
26	Any other condition that ministry of Environment forest & Climate change may stipulate from time to time in the interest of conservation. Protection and development of forest & wildlife.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
27	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through (https://parivesh.nic.in)	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव से सम्बन्धित जमा होने योग्य समस्त धनराशि परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालन के माध्यम से उ०प्र० कैम्पा से जमा कराने की सत्यापित प्रति उपलब्ध करा दी गयी है (छाया प्रति संलग्न)।
28	The compliance report on e-portal (https://parivesh.nic.in)	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि परियोजना से सम्बन्धित समस्त बिन्दुओं की बिन्दुवार अनुपालन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है। सम्बन्धित पावती की सत्यापित प्रति संलग्न है।

उपरोक्तानुसार उ०प्र० सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र सहित सभी शर्तों की अनुपालन आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इस प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत कराने हेतु अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार।

(प्रशान्त यादव)

अधिशाली अभियन्ता,

पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,

लो०नि०वि०—सोनभद्र।

पत्रांक : 391/67144

दिनांक : 04/05/2024

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० क्षेत्र, लो०नि०वि०, प्रयागराज।
2. जिलाधिकारी, जनपद सोनभद्र।
3. अधीक्षण अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० वृत्त, लो०नि०वि० वाराणसी।

अधिशाली अभियन्ता,

पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,

लो०नि०वि०—सोनभद्र।

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा आर०एस० रोड (सिधहवा) से जोगेन्द्रा वाया खजुरा रोड के चैनेज नं०-0.000 से 20.150 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "वन भूमि का वैधानिक रूप किसी भी परिस्थिति में बदले नहीं जाने" हेतु पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

CS
प्रभाकर कर्माकर
रेनुकट वन प्रभाग, रेनुकट
सोनभद्र, उत्तर प्रदेश

Prashant Yadav
Executive Engineer
PMGSY Division
P.W.D. Sonbhadra



उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 2142122024041

ग्राम क्रमांक : 214212 ग्राम का नाम (परगना) : बहेराडोल(दुब्दी) तहसील : दुब्दी जनपद : सोनभद्र फसली वर्ष : 1428-1433 (01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2026)
भाग : 1 (1) खाता संख्या : 00143

श्रेणी : 5-3-ऊ / अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम/जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / पंजीतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक/जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (प्लॉट कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
447/कमी	1) बंजर/नि. ग्राम 2) वन विभाग/.	1) अन्व/2471/21-06-2023/पुनर्ग्रहण		447/कमी(2142120447200357)	10.3210	1) 1/5 2) 4/5	1) 2.3207 2) 8.0003	0.00
कुल गाटे- एक		कुल क्षेत्रफल- एक शून्य दशमलव तीन दो एक शून्य (हेक्टेयर)		कुल भू-राजस्व - शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये		कुल अंश का क्षेत्रफल - एक शून्य दशमलव तीन दो एक शून्य (हेक्टेयर)		
नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण		खारिज किया गया		दर्ज किया गया				
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का	(12) गाटे का खसरा नम्बर / प्लॉट कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के	(15) गाटे का खसरा नम्बर / प्लॉट कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)		

प्रभागीय कर्माधिकारी
रेगुलर वन प्रभाग, रेगुलर
सोनभद्र, कन्नड़ जंक्शन

Prashant Yadav
Executive Engineer
PMGSY Division
P.W.D. Sonbhadra

नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक)	अंक / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	अंक / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)
1) अन्य / 2471 / 21-06-2023 / पुनर्ग्रहण / KAMLESH KUMAR / 04-08-2023	447कमी(2142120447200357)	447कमी(2142120447200357)
1.1) बंजर/नि. ग्राम (शेष क्षेत्रफल: 0.0000)	1.1)	1.1)
	0.0000	0.0000

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व बाट/बादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार/पिता-पति-संरक्षक) :

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार/पिता-पति-संरक्षक) :

(19) अभ्युक्ति :

1) मु० न० विविध शासनोदय संख्या 258 (I) 16-73-रा. दिनांक 16-06-1981 के क्रम में कार्यालय जिलाधिकारी सोनभद्र के पत्र संख्या 2471/डी० एल० आर० सी०-भू० पुनर्ग्रहण/2023 दिनांक 21-06-2023 के द्वारा ग्राम बहेराडोत के आराजी संख्या 447 क मी० रकबा 8.0003 हे०श्रेणी 5-3-ड. बंजर की भूमि को क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु (पी० एम० जी० एस० वाई० खण्ड लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत स्वीकृत पैकेज संख्या यू० पी० 67144 के मार्ग आर० एस० रोड (सिधवा) से जोड़नेवा खास खजुरा मार्ग हेतु) पुनर्ग्रहित किया जाता है। यदि किसी कारण वश भूमि का उपयोग इस निमित्त 3 वर्ष के भीतर नहीं किया जाता है तो यह भूमि पूर्ववत ग्रामसभा में सन्निहित हो जाएगी। ह० अ० र० का० 04/08/2023 (डिजिटल हस्ताक्षर : KAMLESH KUMAR/04-08-2023)

पूर्व आदेशों का विवरण

Data Digitally Signed by: KAMLESH KUMAR (REVENUE INSPECTOR)

दिनांक/समय/स्थान: 06-04-2024 04:03:31 बहरीत: दुडी

यह उद्घरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

मुद्रित बर्त: KAMLESH KUMAR बहरीत: दुडी

मुद्रित दिनांक एवं समय: 06-04-2024 04:03:31

Not Applicable For Online Print: उपरोक्त उद्घरण खतौनी का वेरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अपना QR Code Scan करके किया जा सकता है।



आदेशकारी
रजिस्ट्रार जन प्रशास, रजिस्ट्रार
सोनभद्र, उत्तर प्रदेश

Prashant Yadav
Executive Engineer
PMGSY Division
P.W.D. Sonebhadra



उद्घरण खतौनी (शासकीय)

उद्घरण क्रमांक : 2142192024041

ग्राम क्रमांक : 214219 ग्राम का नाम (परगना) : कटौधी (दुहरी) तहसील : दुहरी जनपद : सोनभद्र फसली वर्ष : 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023)

श्रेणी : 5-3-ड / अन्य कृषि योग्य खंजर भूमि।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम/जाति कोड/ आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता/ जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जेत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (पूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
56मि	1) बंजर// 2) वन विभाग//वन प्रभाग रेनुकुट	1) अन्य /2605 डी0एल0आर0सी0 /28-08-2023 /पुनर्ग्रहण		56मि/2142190056200957)	8.9620	1) 1/1 2) -	1) 2.4020 2) 6.5600	0.00
कुल गाटे- एक		कुल क्षेत्रफल- आठ दशमलव नौ छः दो शून्य (हेक्टर)	कुल भू-राजस्व - शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये	कुल अंश का क्षेत्रफल - आठ दशमलव नौ छः दो शून्य (हेक्टर)				
नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण		खारिज किया गया		दर्ज किया गया				
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम/ पिता-पति- संरक्षक-प्रबंधक का नाम/जाति कोड/ आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं०	(12) गाटे का खसरा नम्बर / पूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम/ पिता-पति-संरक्षक- प्रबंधक का नाम/ जाति कोड/ आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता/ जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर/ पूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)		

भाग्य कानिहारी
रेनुकुट वन प्रभाग, रेनुकुट
खतौनी, उत्तर प्रदेश

Prashant Yadav
Executive Engineer
PMGSY Division
P.W.D. Sonebhadra

नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)
1) अन्य / 2605 डी०एल०आर०सी० / 28-08-2023 / पुनर्ग्रहण / NIZAMUDDIN / 01-04-2024	1.1) बंजर / (शेष क्षेत्रफल : 2.4020)	56मि(2142190056200957)	1.1) 6.5600	1.1) 6.5600
(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व बाढ/वाढों की कम्प्यूटरीकृत संख्या:				
(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति				
(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/पनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार/पिता-पति-संरक्षक):				
(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/पनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार/पिता-पति-संरक्षक):				
(19) अभ्युक्ति:				
पूर्व आदेशों का विवरण 1) 1407फ से धारा 122 बी(4) एफ ता. 02-05-99/उपजिलाधिकारी दुदही ग्राम कटौती के आ.नं. 533मि/1.1895.11मि/0.0669.12क/0.4301.377/0.0379.38क/0.0705.137मि/0.0510 योग लगाट/1.8469 मा.गु.15.70रू. ग्राम समाज खाता खतोनी का इन्ड्राल खारीज करके रामनारायन पुत्र विरसुन 2) ग्रामवासी का नाम बतौर अर्सक भू. दर्ज हो। ह.अ.ले.दि. 17-05-2000 3) मुन०/विधि आदेश (पुनर्ग्रहण आदेश) जिलाधिकारी सोनभद्र पत्रांक सं० 579 डी०एल०आर०सी० भू.पुनर्ग्रहण /2020 दिनांक 7 जुलाई, 2020 ग्राम कटौती श्रीमान जिलाधिकारी महोदय सोनभद्र के पत्र सं० 579 दिनांक 7 जुलाई 2020 के अनुसार आकार पत्र - 1 पुनर्ग्रहण आदेश शासनादेश सं० 258-1-16-73-र०-1 दिनांक 16-6-1981 का आर्थिक परिष्कार करते हुए उत्तर प्रदेश राजसंहिता 2006 (उ०अ०अधि० सं० 8 सन 2012) की धारा-59 की उप धारा 4 के खण्ड आ-7(ग) तथा उ०अ० रा०संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते एवं शासकीय अधिसूचना सं० 740एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक जून 03, 2016 में प्रतिनिधित्व अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं एस० राजलिंगम, जिलाधिकारी, सोनभद्र, अनुसूची के स्तंभ 6 में उल्लिखित भूमि जो अब ग्राम पंचायत के प्रबंधन में निहित थी, को डिक्टर से अपने अधिकार में लेता हूँ। अनुसूची के अनुसार ग्राम कटौती पर 0 व तह० दुदही जि० सोनभद्र की गाटा सं० 98धमि रकबा 1.8640 हे० भूमी 5-उ०. प्रयोजन जिसके लिये पुनर्ग्रहीत की जा रही है- नगर विकास विभाग (डोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु)। पुनर्ग्रहीत भूमि का उपयोग खसम 9 में उल्लिखित प्रयोजन में किया जाएगा। यदि किसी कारण वश पुनर्ग्रहीत भूमि का प्रयोग इस निमित्त तीन वर्ष के भीतर नहीं किया जाता है तो वह भूमि पूर्ववत् गाँवसभा में सन्निहित हो जायेगी। ह.अ.र.का० 28-08-2020 4) जिलाधिकारी सोनभद्र पत्रांक 741/डी०एल०आर०सी० भू.पुनर्ग्रहण /2020 दिनांक 11-9-2020 ग्राम कटौती पर 0 व तह० दुदही जनपद सोनभद्र के गाटा सं० 56 रकबा 8.9620 मे से 0.0900 हे० बंजर भूमि को डी० सोनभद्र के हेतु राज्य पेयजल योजना के हेतु भूमि पूर्ववत् गाँव सभा में सन्निहित हो जायेगी। ह.अ.र.का० 16-09-2020 5) जिलाधिकारी सोनभद्र पत्रांक 1475/डी०एल०आर०सी० भू.पुनर्ग्रहण /2021 दिनांक 8-10-2021 ग्राम कटौती तह० दुदही जनपद सोनभद्र के गाटा सं० 1872ख मि 70.2500 हे० बंजर भूमि को डी० सोनभद्र के हेतु राज्य पेयजल योजना के हेतु भूमि पूर्ववत् गाँव सभा में सन्निहित हो जायेगी। ह.अ.र.का० 17-11-2021 6) जिलाधिकारी सोनभद्र पत्रांक 2471/डी०एल०आर०सी० भू.पुनर्ग्रहण /2023 दिनांक 21.06.23 ग्राम कटौती तह० दुदही जनपद सोनभद्र के गाटा सं० 56मि(6.5600 हे० बंजर भूमि को वनीकरण प्रयोजन में किया जाएगा। यदि किसी कारणवश पुनर्ग्रहीत भूमि का उपयोग इस निमित्त तीन वर्ष के भीतर नहीं किया जाता है तो यह भूमि पूर्ववत् गाँव सभा में सन्निहित हो जायेगी। ह.अ.र.का० 02.06.23 7) पुनर्ग्रहण आदेश जिलाधिकारी महोदय सोनभद्र आदेश दि० 28.08.23 पत्र संख्या 2605 डी०एल०आर०सी० भूमि पुनर्ग्रहण ग्राम कटौती के आ० नं० 56मि (6.5600) भूमी 5-330 बंजर भूमि को पुनर्ग्रहण प्रयोजन में किया जा रहा है। पुनर्ग्रहीत भूमि का उपयोग खसम 9 में उल्लिखित प्रयोजन में किया जाएगा। इस कार्यलय द्वारा पूर्व में जारी आदेश पत्र संख्या 2471/डी०एल०आर०सी० भू.पुनर्ग्रहण /2023 दि० 21.06.23 एवं रेगुलट को क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु पुनर्ग्रहीत भूमि का उपयोग खसम-9 में उल्लिखित प्रयोजन में किया जाता है। ह.अ.र.का० 16.09.23				

41 ग्राम कृषाधिकारी
रेगुलट व न भभाग, रेगुलट
सोनभद्र, उत्तर प्रदेश

Prashant Yadav
Executive Engineer
PMGSY Division
P.W.D. Sonebhadra

Data Digitally Signed by: NIZAMUDDIN (REVENUE
INSPECTOR)

दिनांक/समय/स्थान: 01-04-2024 02:01:08 तहसील: दुहरी

यह उदरग्य खतीनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

मुद्रित कर्ता: VINULESH KUMAR तहसील: दुहरी

मुद्रित दिनांक एवं समय: 01-04-2024 02:01:08

Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उदरग्य खतीनी का वेरीफिकेशन
https://upbhuilekh.gov.in Website पर जाकर अपना QR Code Scan करके किया जा
सकता है।



प्रभागिक कार्याधिकारी
रेगुलर वन प्रभाग, रेगुलर
खोनामडा, खोनामडा

Prashant Yadav
Executive Engineer
PMGSY Division
P.W.D. Sonebhadra



कच्चा प्रमाण-पत्र

ख

जनपद-सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र द्वारा आर०एस०सी०रोड(विप०एच०) से जोगेन्द्रा नामा खजुरा मार्ग के येनज संख्या- 0.00 से 20.150 तक में निर्मित मार्ग के सीधीकरण से प्रभावित 14.5603 हे० आश्रित वन भूमि के गैर जागिरी प्रयोग एवं बाधक 760 वृक्षों/पीपों के पातन की अनुमति हेतु भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिसरान मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पत्र संख्या- 8डी/सू०पी०/०८/३३/२०२२/एस०सी०/८६९ दिनांक- 04.11.2022 द्वारा 20 शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश जारी किया गया है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश में अधिसूचित शर्त संख्या- 3 व 4 के अनुपालन किये जाने हेतु अधिशारी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० पी०डब्ल्यू डी० सोनभद्र, द्वारा परियोजना में प्रभावित 14.5603 हे० वन भूमि के सापेक्ष 14.5603 हे० गैर वन भूमि रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत वन विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया। म्योरपुर रेंज अन्तर्गत ग्राम- फरौधी में प्रस्तावित किये गये 6.6800 हे० गैर वन भूमि का कच्चा आज दिनांक- 2-11-22 को प्रयोगा अभिकरण के नामित प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त किया गया। कच्चा प्राप्त करने के समय मौके पर कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया।

कच्चा लेने वाले का हस्ताक्षर/नाम/पदनाम
मुखर सहित

3mm
ल. ई. नरेन्द्र
7-11-2023
(अंजना कुमारी)

कच्चा प्राप्त करने वाले का हस्ताक्षर/नाम/पदनाम
मुखर सहित

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग
रेनुकूट-सोनभद्र

(विशाल कुमार)

अवर अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड
जो० पी० सी०, सोनभद्र

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग, सोनभद्र

प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
सोनभद्र, उत्तर प्रदेश

अधिशारी अभियन्ता
पी० एस० जी० एस० वाई० खण्ड
लो० नि० वि० सोनभद्र

प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
सोनभद्र, उत्तर प्रदेश

कब्जा प्रमाण-पत्र

जनपद-सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र द्वारा आर०ए०रोड(सिधहवा) से जोगेन्द्रा बाया खजुरा मार्ग के चैनेज संख्या- 0.00 से 20.150 तक में निर्मित मार्ग के चौड़ीकरण से प्रभावित 14.5603 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वाणिज्यी प्रयोग एवं बाधक 768 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति हेतु भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पत्र संख्या- 8वी/सू०पी०/०६/३३/2022/एफ०सी०/669 दिनांक- 04.11.2022 द्वारा 28 शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश जारी किया गया है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश में अधिरोपित शर्त संख्या- 3 व 4 के अनुपालन किये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० पी०डब्लू डी० सोनभद्र, द्वारा परियोजना में प्रभावित 14.5603 हे० वन भूमि के सापेक्ष 14.5603 हे० गैर वन भूमि रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत वन विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया। दुखी रेंज अन्तर्गत ग्राम- बहेराडोल में प्रस्तावित किये गये 8.0003 हे० गैर वन भूमि का कब्जा आज दिनांक- 01.11.2022 को प्रयोक्ता अभिकरण के नामित प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त किया गया। कब्जा प्राप्त करने के समय मौके पर कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया।

गारा सं- 4473 दि० 18. 11.22

कब्जा सौंपने वाले का हस्ताक्षर/नाम/पदनाम
मुहर सहित

[Signature]
ले. सं. बहेराडोल

नाम- रामनारायण मेहरा
पदनाम- ले. सं. बहेराडोल

[Signature]

अन्तर्गत अधिकारी

अवर अभियन्ता

पी० एम० जी० एस० वाई० खण्ड

लोक निर्माण वि०, सोनभद्र

कब्जा प्राप्त करने वाले का हस्ताक्षर/नाम/पदनाम
मुहर सहित

[Signature]
क्षेत्रीय वन अधिकारी
दुखी रेंज
रेनुकूट वन प्रभाग

[Signature]
क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग, सोनभद्र

[Signature]
प्रभागीय वन अधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
सोनभद्र, उत्तर प्रदेश

[Signature]
अधिशासी अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई० खण्ड
लोक निर्माण वि०, सोनभद्र

[Signature]
प्रभागीय वन अधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
सोनभद्र, उत्तर प्रदेश

चैक नं- (5,6) ०

AGENCY COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 28-03-2023

Agency Name.	PMGSY DIVISION PUBLIC WORKS DEPARTMENT SONEBHADRA
Application No.	61118819202
MoEF/SG File No.	8B/UP/06/33/2022/FC
Location.	UTTAR PRADESH
Address.	Office of The Executive Engineer, PMGSY Div., P.W.D. Sonebhadra. (First Floor of Executive Engineer, Nirman Khand, P.W.D. Sonebhadra.) Sonebhadra
Amount(in Rs)	21728045/-

Amount in Words :Two Crore Seventeen Lakh Twenty-Eight Thousand and Forty-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1509061118819202 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 28-03-2023

Agency Name.	PMGSY DIVISION PUBLIC WORKS DEPARTMENT SONEBHADRA
Application No.	61118819202
MoEF/SG File No.	8B/UP/06/33/2022/FC
Location.	UTTAR PRADESH
Address:	Office of The Executive Engineer, PMGSY Div., P.W.D. Sonebhadra. (First Floor of Executive Engineer, Nirman Khand, P.W.D. Sonebhadra.) Sonebhadra
Amount(in Rs)	21728045/-

Amount in Words :Two Crore Seventeen Lakh Twenty-Eight Thousand and Forty-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1509061118819202 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Prashant Yadav
Executive Engineer
PMGSY Division
P.W.D.-Sonebhadra



Prashant Yadav
Executive Engineer
PMGSY Division
P.W.D.-Sonebhadra

प्रभावी प्रमाणित
रसमद वन प्रमाण, रसमद
उ. उत्तर प्रदेश

U.T.R. No. SOJN123080331548 X SBI Date: 29/05/2022

Received from Executive Engineer, PMGSY, PWD Sonbhadra

By Cheque/Transfer/Cash for RTGS on 29/05/2022

Bank Union Bank of India Branch 29/05/2022

Favouring Uttam Pradesh Campa A/c No. 150306118819202

Amount Rs. 21728045.00 Bank's Charges Rs. NIL

Total Rs. 21728045.00 (Rupees Twenty Eight Thousand Four)

नोट- चेक के पिछे 4,5,7, का डिटेल Benifit के नाम Account No & IFSC कोड लिख कर हस्ताक्षर करें

7
बल
गंगा न्यायिक
मुद्रा वन प्रमाण, मुद्रा
सोपान, वन प्रमाण

अविशासी अभियंता -
पी० एम० जी० एस० वाई०,
खण्ड लो० नि० वि० सोनभद्र

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पीएमजीएसवाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा आरएस रोड (सिधवा) से जोगेन्द्रा वाया खजुरा रोड के चैनैज नं०-0.000 से 20.150 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत "वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु मांग की गयी एनपीवी की धनराशि की दर में भविष्य में भारत सरकार द्वारा/सक्षम स्तर से बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु" पीएमजीएसवाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।


प्रशांत यादव
 हेनुकट बन प्रभाव, हेनुकट
 सोनभद्र, उत्तर प्रदेश


Prashant Yadav
 Executive Engineer
 PMGSY Division
 P.W.D. Sonbhadra

बैंक
State Bank of India
A/C No. 00170
839883509

बैंकर्स चेक
BANKERS CHEQUE

KEY SIDJUV
Sr No 910290

3 0 0 3 2 0 2 3
D D M M Y Y Y

PAY PRABHAGIYA VAN ADHIKARI RENUKO OT VAN PRABHAG.....

को या उनके आदेश पर

Five Thousand Four Hundred and Twenty Only

RUPEES

OR ORDER

अदा कर

₹ 5420.00

000524800697
Name of Applicant

Key, SIDJUV Sr No. 910290
UP GRAMINE SARAK VIKAS ABHIKAR

AMOUNT BELONGS TO (0/4)

सुदो भारतीय स्टेट बैंक
FOR STATE BANK OF INDIA

अहस्तांतरणीय

NON TRANSFERABLE

आवेदनकर्ता के समर्थन
APPLICANT'S SIGNATURE

कम से 3 माहों के लिए ही
VALID FOR 3 MONTHS ONLY

यदि चेक पर अधिकारी द्वारा प्रकाशित किया गया है
IF NO SIGNATURE OF AUTHORITY IS NOT AFFIXED ON THE CHECK

⑈800697⑈ 000002000⑈ 000524⑈ ४६

प्रभागीय आधिकारी
रेनुकोट वन प्रभाग, सुदो
सोनमन, उत्तर प्रदेश

अधिकासी अभिवृत्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
खण्ड लो० नि० दि० सोनमन

Government of Uttar Pradesh
Office of the District Collector, Sonebhadra (U.P.)

No.: 803/UP67144

Dated: 07/08/2023.

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF & CC), Government of India's Letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 03 August 2009, letter No. 11-9/1998-FC (pt) dated 28 October 2014 & State Government Order No. 2083/14-2-2016 Dated 14 September 2016. It is certified that an area of 14.5603 Hectare reserve forest land is proposed to be diverted in favour of P.M.G.S.Y. Division, P.W.D., Sonebhadra for diversion of Package No. UP67144 of Road "R.S. Road (Sidhahawa) to Jogendra via Khajura Road" in Sonebhadra district falls within jurisdiction in Duddhi Tehsil.

It is further certified that the proposal does not involve Recognized Right of Primitive Tribal Groups and Pre-Agriculture Communities and the 'Forest Land' proposed to be diverted is a plantation which was notified as 'Forest' less than 75 years prior to 13th December 2005 and is located in villages having no recorded population of Schedule Tribes and Others Traditional Forest Dwellers as per the census of 2001 and 2011.


7.8.23

DISTRICT COLLECTOR
SONEBHADRA


अधिशाली अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई० खण्ड
सी० टी० सी० सोनभद्र


प्रभाकर प्रभाकर
रेमकट वन प्रभाग, रेमकट
सोनभद्र, उत्तर प्रदेश

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा आर०एस० रोड (सिधहवा) से जोगेन्द्रा वाया खजुरा रोड के चैनेज नं०-0.000 से 20.150 तक में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत " वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा जारी एफ०सी०ए० प्रमाण पत्र का उल्लंघन नहीं किये जाने हेतु" पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।


प्रभागीय वनाधिकारी
रेमकुट वन प्रभाग, रेमकुट
(सोनभद्र, उत्तर प्रदेश)


Prashant Yadav
Executive Engineer
PMGSY Division
P.W.D. Sonbhadra

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा आर०एस० रोड (सिधहवा) से जोगेन्द्रा वाया खजुरा रोड के चैनेज नं०-0.000 से 20.150 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "प्रस्तावित वन क्षेत्रों में नियमित अन्तराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाये जाने हेतु" पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।


प्रभासीय ज्वायिनरी
रेमुकूट वन प्रभाग, रेमुकूट
(सोनबध्द, सोनबध्द)


Prashant Yadav
Executive Engineer
PMGSY Division
P.W.D. Sonbhadra

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा आर०एस० रोड (सिधहवा) से जोगेन्द्रा वाया खजुरा रोड के चैनेज नं०-०.००० से २०.१५० तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत **CW/LW/NBWL/FAC/REC** की सिफारिसों के अनुसार आरक्षित वन क्षेत्रों में उपयुक्त अण्डर/ओवरपास उपलब्ध कराये जाने हेतु पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।


प्रभाकर कर्माधारी
 सहायक वन प्रभाग, पिनडु
 पिनडु, जिला सोनभद्रा


Prashant Yadav
 Executive Engineer
 PMGSY Division
 P.W.D. Sonbhadra



बिंदु संख्या-(14)

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

Phone:0522-2720828,2720831, Fax:0522-2720764, Email: info@uppcb.com, Website: www.uppcb.com

Validity Period :25/04/2024 To 31/03/2025

Ref No. -
207369/UPPCB/Sonebhadra(UPPCBRO)/CTE/SONBHADRA/2024

Dated:- 27/04/2024

To ,

Shri PRASHANT YADAV

M/s PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA((R.S. ROAD SIDHAHAWA TO JOGENDRA VIA KHAJURA ROAD)

CONSTRUCTION AND MAINTENANCE OF ROAD R.S. ROAD SIDHAHAWA TO JOGENDRA VIA KHAJURA ROAD, LENGTH 20.150 KM, DISTRICT-SONBHADRA(U.P.) SONBHADRA

Sub : Consent to Establish for New Unit/Expansion/Diversification under the provisions of Water (Prevention and control of pollution) Act, 1974 as amended and Air (Prevention and control of Pollution) Act, 1981 as amended.

Please refer to your Application Form No.- 25661232 dated - 05/04/2024. After examining the application with respect to pollution angle, Consent to Establish (CTE) is granted subject to the compliance of following conditions :

1. Consent to Establish is being issued for following specific details :

A- Site along with geo-coordinates : 24.2472658, 82.839559

B- Main Raw Material :

Main Raw Material Details		
Name of Raw Material	Raw Material Unit Name	Raw Material Quantity
STONE GRITTS, BITUMIN AND EMULSION	Metric Tonnes/Hour	

C- Product with capacity :

Product Detail	
Name of Product	Product Quantity
R.S. ROAD SIDHAHAWA TO JOGENDRA VIA KHAJURA ROAD	00

D- By-Product if any with capacity :

By Product Detail			
Name of By Product	Unit Name	Licence Product Capacity	Install Product Capacity
N.A.	Metric Tonnes/Day	00	00

2. Water Requirement (in KLD) and its Source :

Source of Water Details		
Source Type	Name of Source	Quantity (KL/D)

3. Quantity of effluent (In KLD) :

प्रभागीय कार्यालयी
रेगुलर वन प्रभाग, रेगुलर
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

अधिसासी अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई० खण्ड
नो० २०- वि० सोनभद्र

Effluent Details	
Source Consumption	Quantity (KL/D)
Domestic	1.0

4. Fuel used in the equipment/machinery Name and Quantity (per day) :

Fuel Consumption Details		
Fuel	Consumption(tpd/kld)	Use

5. For any change in above mentioned parameters, it will be mandatory to obtain Consent to Establish again. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of U.P. Pollution Control Board.
- For any change in above mentioned parameters, it will be mandatory to obtain Consent to Establish again. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of U.P. Pollution Control Board.
2. You are directed to furnish the progress of Establishment of plant and machinery, green belt, Effluent Treatment Plant and Air pollution control devices, by 10th day of completion of subsequent quarter in the Board.
3. Copy of the work order/purchase order, regarding instruction and supply of proposed Effluent Treatment Plant/Sewerage Treatment Plant /Air Pollution control System shall be submitted by the industry till 31/03/2025 to the Board.
4. Industry will not start its operation, unless CTO is obtained under water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and control of Pollution) Act, 1981 from the Board.
5. It is mandatory to submit Air and Water consent Application, complete in all respect, four months before start of operation, to the U.P. Pollution Control Board.
6. Legal action under water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 may be initiated against the industry With out any prior information, in case of non compliance of above conditions.

Specific Conditions:

Dr.
प्रभावी कर्माधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
सोनमढ़, उत्तर प्रदेश

dd
अधिशाली अभियन्ता
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
सोनमढ़, उत्तर प्रदेश

1. This CTE is valid for construction of PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA((R.S. ROAD SIDHAHAWA TO JOGENDRA VIA KHAJURA ROAD), CONSTRUCTION AND MAINTENANCE OF ROAD R.S. ROAD SIDHAHAWA TO JOGENDRA VIA KHAJURA ROAD, LENGTH 20.150 KM, Village-Siddhhava, Block- Muirpur, Tehsil-Dudhi, District-Sonebhdra, as per the proposal submitted by the proponent.
2. Project shall not establish Hot Mix Plant/Ready Mix Plant for road construction material without prior CTE from the Board.
3. The road construction material shall be transported in fully covered vehicles.
4. Monitoring of Ambient Air quality shall be done on regular basis during road construction period. Ambient air quality report of NABL accredited laboratory shall be submitted on monthly basis.
5. The road construction shall be done in such a manner that public transportation should not get fully affected.
6. The domestic effluent shall be treated and collected in pit and this effluent shall be reused in irrigation purposes.
7. Project shall develop green belt as per the Office memorandum no. H 48/273/C-1/NGT-83/2020 dated 27.02.2020 issued by UPPCB.
8. The ambient noise level shall conform to the standards as prescribed under the Environment (Protection) Act 1986.
9. Proper dust control measures shall be taken during construction and provisions of Construction and Demolition Waste Management Rules 2016 shall be effectively implemented.
10. Project shall install APCS on air pollution sources so that ambient air quality does not get affected.
11. Project shall comply with the provisions of Hazardous and Other waste (Management & Trans boundary Movement) Rules 2016.
12. Solid waste shall be disposed in such manner, so that no water, air and soil pollution takes place.
13. Project shall submit the Onsite emergency plan approved by the competent authority to the Board within a month and ensure the proper safety measures as per crises management plan.
14. Project shall ensure to Comply the provisions of Plastic waste Management Rules 2016 and Solid Waste Management Rules 2016.
15. The water supply shall be done through tankers as proposed. Project shall not use ground water without obtaining necessary permission from the CGWA for abstraction of ground water.
16. Project shall abide by orders and directions issued by the Hon'ble Court, Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi and Central Pollution Control Board for protection and safe guard of environment from time to time.
17. Industry shall ensure the compliance of directions given by Hon'ble Oversight committee from time to time.
18. Project shall comply with the relevant provisions of Environmental Laws.
19. This CTE is subjected with work order issued by PWD.

Please note that consent to Establish will be revoked, in case of, non compliance of any of the above mentioned conditions. Board reserves its right for amendment or cancellation of any of the conditions specified above. Industry is directed to submit its first compliance report regarding above mentioned specific and general conditions till 27/05/2024 in this office. Ensure to submit the regular compliance report otherwise this Consent to Establish will be revoked.

Umesh
Kumar
Gupta
Digitally signed by
Umesh Kumar
Gupta
Date: 2024.04.27
17:33:59 +05'30'
(U.K. Gupta)
Regional Officer

Dated:- 27/04/2024

Copy To -

CHIEF ENVIRONMENTAL OFFICER (CIRCLE-2)
U. P. POLLUTION CONTROL BOARD
LUCKNOW

प्रभाकर काशिकरी
रेगुलट वन प्रभाग, रेगुलट
सोनभद्र, उत्तर प्रदेश

अधिकासी अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई० खण्ड
लो० नि० दि० सोनभद्र

Umesh
Kumar
Gupta
Digitally signed by
Umesh Kumar Gupta
Date: 2024.04.27
17:34:32 +05'30'
(U.K. Gupta)
Regional Officer



मिशन LIFE - पर्यावरण के लिए जीवन शैली
(Lifestyle For Environment)
जनसहभागिता का सन्देश



- स्वच्छता – देशसेवा में अपने परिवेश की स्वच्छता हेतु अपना सक्रिय योगदान सुनिश्चित करें
- संकल्प लें - एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद जैसे कप, तश्तरी, चम्मच, स्ट्रॉ, ईयरबड्स आदि का उपयोग न हो एवं पर्यावरण अनुकूल विकल्पों जैसे कागज/पत्तों से बने दोने या कटलरी को प्राथमिकता दी जाय ।
- एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद के प्रयोग को रोकने एवं प्लास्टिक बैग के बजाय कपड़े के थैले का उपयोग करने मात्र से 375 मिलियन टन ठोस (प्लास्टिक) कचरे का उत्सर्जन बचाया जा सकता है
- चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) का समुचित कार्यान्वयन वर्ष 2030 तक लगभग 14 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त बचत उत्पन्न कर सकता है । वेस्ट /अपशिष्ट फेंकने के पूर्व सोचें, ये किसी का संसाधन तो नहीं ...?
- अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को कचरे में फेंकने से रुकें । इसके उपयुक्त निस्तारण हेतु इसे प्राधिकृत ई – वेस्ट रीसाइकलर को दें । प्राधिकृत ई-रीसाइक्लिंग इकाई में अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को देने मात्र से 0.75 मिलियन टन तक ई-कचरे का पुनर्चक्रण किया जा सकता है एवं ई-कचरे के विषम पर्यावरणीय दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है
- बाहर जाते समय - सोचें कि क्या आपको वास्तव में परिवहन की आवश्यकता है - वह भी क्या व्यक्तिगत रूप से ? छोटी दूरी के लिए पैदल चलना पसंद करें, अथवा सम्भव हो तो कार पूल के रूप में संसाधन को साझा करें अथवा सार्वजनिक परिवहन पर विचार करें
- घरेलू स्तर पर कम से कम ठोस अपशिष्ट का उत्सर्जन करें और इनका प्रयाकीकरण करें
- उपयोगी शेष खाद्य सामग्री आपके स्वयं प्रयास अथवा निकटस्थ सक्रिय स्वयं सेवी संस्थाओं की सहायता से समाज के वंचित वर्ग तक पहुंचाई जा सकती है । वहीं अनुपयोगी भोजन /खाद्य सामग्री को कंपोस्ट (वर्मी कम्पोस्ट) करने से 15 अरब टन भोजन को नष्ट होने से बचाया जा सकता है
- ध्यान रखें - उपयुक्त नल और शावर के उपयोग से पानी की खपत को 30 - 40% तक कम किया जा सकता है। एवं उपयोग में न होने पर नलों को बंद रखने मात्र से 9 ट्रिलियन लीटर पानी बचाया जा सकता है
- ट्रैफिक लाइट/रेलवे क्रॉसिंग पर कार/स्कूटर के इंजन बंद करने मात्र से 22.5 बिलियन kWh तक ऊर्जा की बचत हो सकती है
- परम्परागत बल्ब के स्थान पर CFL का उपयोग बिजली की खपत में प्रभावी कमी लाते हैं । उपयोग में न होने पर बिजली उपकरणों को बंद करें । स्टार रेटेड विद्युत उपकरणों के उपयोग को प्राथमिकता दें

हमारे द्वारा अपनी जीवन शैली की प्राथमिकताओं का उचित और पर्यावरण अनुकूल पुनर्निर्धारण समाज और पर्यावरण के प्रति हमारा दायित्व है।

प्रभावी
प्रभावी कमाधिकारी
रेमुकट वन प्रभाग, रेमुकट
पिपिनभद्र, छत्ता

अधिशाली अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई० खण्ड
लो० डि० वि० सोनभद्र

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पीएमजीएसवाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा आरएस रोड (सिधहवा) से जोगेन्द्रा वाया खजुरा रोड के चैनल नं०-0.000 से 20.150 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत "केन्द्र सरकार की पूर्ण अनुमोदन के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदले जाने हेतु" पीएमजीएसवाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।


Prashant Yadav
Executive Engineer
PMGSY Division
P.W.D. Sonebhadra


प्रभागीय कर्माधिकारी
रेनुकेश वर प्रभागी, रेलवे
सोनभद्र, उत्तर प्रदेश

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा आर०एस० रोड (सिधहवा) से जोगेन्द्रा वाया खजुरा रोड के चैनेज नं०-0.000 से 20.150 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "वन भूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किये जाने हेतु" पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।


Prashant Yadav
Executive Engineer
PMGSY Division
P.W.D. Sonebhadra


प्रमाणित कर्ताधिकारी
रेमुकूट वन प्रभाग, रेमुकूट
मोतिमहल, खजुरा

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा आर०एस० रोड (सिधहवा) से जोगेन्द्रा वाया खजुरा रोड के चैनैज नं०-0.000 से 20.150 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत "प्रस्तावित वन भूमि की सीमा का उपयुक्त सीमांकन में होने वाले व्यय को किये जाने हेतु" पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।


Prashant Yadav
Executive Engineer
PMGSY Division
P.W.D. Sonebhadra


प्रभागीय कमांडर
रेमुकूट वन प्रभाग, रेनुका
सोनभद्र, उत्तर प्रदेश

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पीएमजीएसवाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा आरएस रोड (सिधहवा) से जोगेन्द्रा वाया खजुरा रोड के चैनल कि० 000 से 20.150 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "परियोजना कार्य के सम्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन हेतु क्षेत्र के अन्दर कोई नवीन पथ का निर्माण नहीं किये जाने हेतु" पीएमजीएसवाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण तौर से बद्ध है।


Prashant Yadav
Executive Engineer
PMGSY Division
P.W.D. Sonebhadra


प्रभाशं यदाव
रेमुकूट वन विभाग, रेमुकूट
सीतामढ़, उत्तर प्रदेश

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पीएमजीएसवाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा आरएस रोड (सिधहवा) से जोगेन्द्रा वाया खजुरा रोड के चैनैज नं०-0.000 से 20.150 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत "प्रस्तावित वन भूमि का उपयोग परियोजना प्रस्ताव में निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किये जाने हेतु" पीएमजीएसवाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।


Prashant Yadav
Executive Engineer
PMGSY Division
P.W.D. Sonebhadra


प्रमाणित वनाधिकारी
संयुक्त वन प्रभाग, रेनुका
सोनभद्र, उत्तर प्रदेश

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पीएमजीएसवाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा आरएस रोड (सिधहवा) से जोगेन्द्रा वाया खजुरा रोड के चैनैज नं०-0.000 से 20.150 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत "वन भूमि को किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य अभिकरण या व्यक्ति को बिना भारत सरकार की पूर्व अनुमति के हस्तान्तरण नहीं किये जाने हेतु" पीएमजीएसवाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।


Prashant Yadav
Executive Engineer
PMGSY Division
P.W.D. Sonebhadra


प्रमाणित किया जाता है
लोक निर्माण विभाग, सनेभद्रा
(सिधहवा, खजुरा रोड)

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा आर०एस० रोड (सिधहवा) से जोगेन्द्रा वाया खजुरा रोड के चैनेज नं०-0.000 से 20.150 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत "समस्त शर्तों का उल्लंघन नहीं किये जाने हेतु" पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।


Prashant Yadav
Executive Engineer
PMGSY Division
P.W.D. Sonbhadra


प्रमाणित कर्ताधिकारी
रेनुकट वन प्रभाग, रेनुकट
सोनभद्र, उत्तर प्रदेश

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा आर0एस0 रोड (सिधहवा) से जोगेन्द्रा वाया खजुरा रोड के चैनेज नं0-0.000 से 20.150 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन और वन्य जीव संरक्षण और विकास के लिए समयानुसार जारी दिशा निर्देश का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन हेतु" पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।


Prashant Yadav
Executive Engineer
PMGSY Division
P.W.D. Sonebhadra


प्रमाणित कर्ताधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
सोनमध, उत्तर प्रदेश

Proposal summary for submitting compliance report

☒ Allocation of fresh forest land (Form-A) ☐ Renewal of lease (Form-B) ☐ Prospecting of Minerals (Form-C)

Help

Click on  this icon for uploading compliance report for Allocation of fresh forest land Form-A, Renewal of lease Form-B, Prospecting of Minerals Form-C

Enter value for Search :

Search

Sno.	Proposal No.	Proposal Name	Category	User Agency Name	Area Applied (ha.)	Proposal received electronically on	Proposal Status	Upload Compliance Report
1	FP/UP/ROAD/121267/2021	Widening & Strengthening of Bhadai Arar to Makarivari Road from Km. No. 0.000 to Km. No. 46.050 Under Road Connectivity Project on Left Wing Extremism Area (RCPLWEA) in Tehsil: Robertsganj, District-Sonbhadra	Road	PMGSY DIVISION PUBLIC WORKS DEPARTMENT SONBHADRA	18.5193	04 Feb 2021	IN-PRINCIPLE	 (Compliance_report.aspx? Cat_Id=FP/UP/ROAD/121267/2021)
2	FP/UP/ROAD/118819/2021	Proposed forest land to be diverted for Widening & Strengthening of RS Road (Sidhahawa) to Jogendra Road Via Khaljura Road from Km. No. 0.000 to Km. No. 20.150 Under Road Connectivity Project on Left Wing Extremism Area (RCPLWEA) in Tehsil-Robertsganj, District-Sonbhadra by PMGSY Division, PWD Sonbhadra	Road	PMGSY DIVISION PUBLIC WORKS DEPARTMENT SONBHADRA	14.5603	11 Jan 2021	IN-PRINCIPLE	 (Compliance_report.aspx? Cat_Id=FP/UP/ROAD/118819/2021)

भारतीय समाधिकारी
रेगुलट वन प्रभाव, फुल्ल
सोनबध, डक्टर सोनबध

india.gov.in

(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)

(HTTPS://INDIA.GOV.IN/)

my Gov (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)



Power To Empower

(WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)

अधिशाली अभियन्ता
पीएमडीआईएलवाईड सण्ड
लोन निड विड सोनबध
(HTTPS://DATA.GOV.IN/)



MeitY (HTTP://MEITY.GOV.IN/)



(HTTP://WWW.NIC.IN/)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India
Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (PrivacyPolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) |
Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (AccessibilityStatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) |
Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi,
monitoring-fc(at)nic(dot)in

